



क्रमांक: एफ.1(1)(57)निमअ/स्था/2011/

जयपुर, दिनांक :

### आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक क्रमशः एफ. 1(1)(57) स्था/निमअ/2011/17085 एवं 17197 जयपुर, दिनांक 27.08.2020 के द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित संरक्षण अधिकारी, महिला अधिकारिता परीक्षा-2018 में सफल घोषित अभ्यर्थियों को अस्थाई आधार पर संरक्षण अधिकारी के पद पर परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियुक्ति प्रदान की गई है।

श्री जगदीश चौधरी, नवनियुक्त संरक्षण अधिकारी को विभागीय आदेश क्रमांक 17828-843 दिनांक 03.09.2020 के द्वारा कार्यग्रहण अवधि में 03 माह की अभिवृद्धि की गई थी। श्री जगदीश चौधरी, नवनियुक्त संरक्षण अधिकारी के स्वयं की प्रार्थना पत्र के अनुसार वर्तमान में निजी कम्पनी में विधि सलाहकार के पद से कार्यमुक्त होने में समय लगने की संभावना है।

अतः श्री जगदीश चौधरी को दिनांक 31.12.2020 तक कार्यग्रहण करने की अवधि में अभिवृद्धि की जाती है।

20

आयुक्त  
महिला अधिकारिता

क्रमांक: एफ.1(1)(57)निमअ/स्था/2011/ 28217-222 जयपुर, दिनांक : 26/12/20

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदया, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. अतिरिक्त निजी सचिव, आयुक्त, महिला अधिकारिता, मुख्यालय।
4. प्रोग्रामर महिला अधिकारिता, मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. श्री जगदीश चौधरी पुत्र श्री धारुमल चौधरी, नवनियुक्त संरक्षण अधिकारी निवासी- 211/51 पुलिस लाईन, लोहा खान, अजमेर-305001
6. व्यक्तिगत पत्रावली।
7. आदेश पत्रावली।

25

निदेशक, संस्थापन